

RTI (FO)

कार्यालय- मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बे0)/

५७

/नवीनीकरण/2024-25/

दिनांक 30 अप्रैल, 2024

नवीनीकरण आदेश

मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के आदेश संख्या शिविर बे0/15-क /393 /नवीनीकरण/2018-19 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा शेमफोर्ड दून, कोटड़ा संतौर रोड़ नन्दा की चौकी, देहरादून का नवीनीकरण आदेश निर्गत किया गया था। उत्तराखण्ड शासन संख्या 1218/XXIV-B-3/1901(29)2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 के द्वारा विद्यालय का नाम द टौन्स ब्रिज स्कूल कोटड़ा सन्तूर रोड़, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, सहसपुर, देहरादून परिवर्तित किये जाने के उपरान्त विद्यालय द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र एवं उप शिक्षा अधिकारी सहसपुर की स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर द टौन्स ब्रिज स्कूल, कोटड़ा सन्तूर रोड़, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, सहसपुर, देहरादून को प्री-प्राइमरी से कक्षा-08 तक (अंग्रेजी माध्यम) से दिनांक 01.08.2023 से आगामी 03 वर्षों के लिये औपबन्धिक रूप से नवीनीकृत किया जाता है। 03 वर्ष उपरान्त विद्यालय को नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन करना अनिवार्य होगा। पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(प्रदीप कुमार)

मुख्य शिक्षा अधिकारी

देहरादून।

पृ0सं0 शिविर(बे0)/

1097-1103

/नवीनीकरण/2024-25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।
5. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य।

मुख्य शिक्षा अधिकारी

देहरादून।